भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 1493

जिसका उत्तर 15.12.2022 को दिया जाना है

भूमि अधिग्रहण के लिए मूल्य

1493. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार संगरूरू (पंजाब) में दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे के विकास के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि के लिए एक समान भूमि मूल्य की मांग को लेकर किसानों के आंदोलन से अवगत है और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि उक्त एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि के समान भूखंडों की भूमि की कीमत में अत्यधिक अंतर है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा प्रभावित किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) जी हां। भूमि अधिग्रहण के सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके अलावा, सीएएलए द्वारा घोषित अवार्ड में मुआवजे के अंतर से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में अंतर्निहित प्रावधान हैं और मामले को तदनुसार निपटाया जा रहा है।

*****